प्रेस नोट
दिनांक 25.08.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा कजरी तीज पर्व को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु पृथ्वीनाथ मंदिर का किया गया निरीक्षण, सम्बन्धित को दिए गए आवश्यक दिशा–निर्देश–

गोण्डा। आज दिनांक 25.08.2025 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा थाना खरगूपुर क्षेत्रान्तर्गत पृथ्वीनाथ मंदिर में भगवान शिव की विधिविधान से पूजा–अर्चना कर जनपदवासियों की सुख–समृद्धि एवं मंगलमय जीवन की कामना की गई। कजरीतीज–त्यौहार के अवसर पर होने वाले जलाभिषेक/मेले को शान्तिपूर्ण एवं सकुशल सम्पन्न कराने के दृष्टिगत महोदय द्वारा मौके पर पहुँचकर संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था व बैरिकेटिंग व्यवस्था का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा ड्यूटी पर लगे अधिकारीगण एवं कर्मचारियों को निर्देश देते हुए बताया कि मेले/मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। भीड़–भाड़ वाले स्थानों पर विशेष सतर्कता रखी जाए तथा यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखा जाए। किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जाए। आमजन के साथ सकारात्मक संवाद स्थापित कर पुलिस की मित्रवत छवि को और मजबूत किया जाए।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 25.08.2025

थाना नवाबगंज पुलिस की अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण के विरुद्ध बडी कार्यवाही, भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब बरामद 03 अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण, परिवहन व भण्डारन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अवैध कच्ची शराब बनाने के 03 आरोपी अभियुक्तों–01. छेदी पुत्र हरिश्चन्द्र, 02. सुनील पुत्र केशवराम, 03. विजय प्रताप पुत्र सुरेश को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लगभग 2,000 लीटर अवैध कच्ची शराब, बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 24/25.08.2025 की रात्रि को थाना नवाबगंज के उ0नि0 विभव सिंह मय हमराह पुलिस बल के साथ क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बहदग्राम दुर्गागंज मांझा में कुछ व्यक्ति अवैध रूप से कच्ची शराब का निर्माण कर रहे हैं सूचना पर पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंचकर दबिश दी गई, जहाँ से 03 अभियुक्तों– 01. छेदी पुत्र हरिश्चन्द्र, 02. सुनील पुत्र केशवराम, 03. विजय प्रताप पुत्र सुरेश को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लगभग 2,000 लीटर अवैध कच्ची शराब, बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. छेदी पुत्र हरिश्चन्द्र नि0 जैतपुर मांझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
02. सुनील पुत्र केशवराम नि0 जैतपुर मांझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
03. विजय प्रताप पुत्र सुरेश नि0 जैतपुर मांझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0 309/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा।

बरामदगी–
01. लगभग 2000 ली0 अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. उ0नि0 विभव सिंह।
02. हे0का0 योगेन्द्रनाथ यादव।
03. हे0का0 अभिषेक सिंह।
04. हे0का0 नीरज सिंह।
05. हे0का0 रोशन सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा।